

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 23/2024-25

नई दिल्ली, दिनांक: 16 अगस्त, 2024

विषय: डी-ऑयलड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.अ.) समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 15 मार्च, 2024, की पूर्व अधिसूचना सं. 76/2023 के संशोधन में अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 23 के तहत निर्यात नीतिगत शर्त में निम्नलिखित परिवर्तन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
2302-ब्रान, शार्प और अन्य अवशिष्ट, चाहे टिकिया के रूप में हो अथवा नहीं, अनाज अथवा फलीदार पौधों के स्थानांतरण, पीसने अथवा अन्य कार्य से प्राप्त		
2302 40 00 - अन्य अनाज के	मुक्त	डी-ऑयलड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
2306 खली और अन्य टोस अवशिष्ट चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकिया के रूप में हो, वनस्पति अथवा माइक्रोबियल वसा अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त, शीर्षक 2304 अथवा 2305 की वस्तुओं के अलावा		
2306 90 19 - अन्य - - - खली और खली खाद्य, निष्कासन किस्म: - - - अन्य बीजों के	मुक्त	डी-ऑयलड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
2306 90 29 - अन्य - - - खली और खली खाद्य, विलायक द्रव से निकाली हुई (वसा रहित) किस्म: - - - - - अन्य बीजों के	मुक्त	डी-ऑयलड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
2306 90 90 - अन्य-अन्य	मुक्त	डी-ऑयलड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।

अधिसूचना का प्रभाव: डी-आयलड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।

संतोष कुमार सारंगी
16.8.2024

(संतोष कुमार सारंगी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल : dgft@nic.in